

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

प्रकाश बनाम गुंशी

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 116/2016  
पेश करने की दिनांक - 21.07.2024

यह मुकदमा आज वारंते इनफिनाल कर्तई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व  
हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर  
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

याम बितुर के हाल खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0.06 का खातेदार प्रकाश पुत्र  
कालू 1/2 हि. व उम्मेद पुत्र कालू 1/2 हि. को खसरा नम्बर 73/2 रकबा 0.12 का  
खातेदार असलम पुत्र बाबू हि. 1/48, उगमा पत्नि पप्पू हि. 5/24, कादर पुत्र धन्ना हि.  
1/24, जनता पत्नि पूना हि. 1/120, धापू पत्नि कालू हि. 1/4, जरीना पत्नि मुंशी हि.  
1/20, बादशाह पुत्र धन्ना हि. 1/24, भंवर पुत्र धन्ना हि. 1/24, मुराद पुत्र बाबू हि.  
1/48, मस्तान पुत्र पूना हि. 1/120, याकूब पुत्र पूना हि. 1/120, रज्जाक पुत्र पूना हि.  
1/120, लाडी पुत्री धन्ना हि. 1/24, शहनाज पुत्री मुंशी हि. 1/20, सुखा पुत्र भोमा हि.  
1/24, सद्दाम पुत्र मुंशी हि. 1/20, सलमा पुत्री मुंशी हि. 1/20, सलीम पुत्र मंशी हि.  
1/20, साबरा पुत्री पूना हि. 1/120 को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज  
पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



मुकदमें में मय सूद व शरह तक ----- को सालाना आज की तारीख से यानि  
बसली तक्रार को अदा करे।  
बअसत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 12 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

